WESTERN RAILWAY

P.S.No.102/2015

Headquarter Office,
Churchgate, Mumbai-20

No. E(P&A) 81/2 (HPCA/PCA)

Date:03/09/2015

To,
All DRMs / CWMs & Units Incharge,
C/- Genl. Secy., WRMS-BCT/ WREU-GTR
C/- ZS-All India SC/ST Rly Employees. Assn,'W' Zone, Mumbai
C/- ZS-All India OBC Rly Empl. Assn, Mumbai.

Sub: रेलवे अस्पतालों तथा स्वास्थ्य यूनिटों /क्लिनिकों में कार्यरत ग्रुप "सी" एवं "डी" (गैर-लिपकि वर्गीय) रेल कर्मचारियों को अस्पताल मरीज देखभाल भत्ता (एचपीसीए) और मरीज देखभाल भत्ता (पीसीए) प्रदान करना ।

==========

A copy of Railway Board's letter No.E(P&A) II-98/HW-6 Vol.III dated 31.07.2015 is sent herewith for information, guidance and necessary action.

Railway Board's letter referred to therein were circulated as under :

Sr. No.	Railway Board's letter No. and date	This office letter No. and Date
01	No.E(P&A)II-98/HW-6 dated 09.01.2008.	E(P&A) 81/2 (HPCA/PCA) dated 17.01.2008 (P.S.No.04/2008)
02	No.E(P&A)II-2013/AL-3 dated 20.02.2013.	E(P&A) 81/2 (HPCA/PCA) dated 21.03.2013 (P.S.No.19/2013)

Encl: As above.

3/9/15

(Smita Mhasde)
APO(B&A)
For General Manager (E)

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

आरबीई सं. 87/2015

सं. ई(पी एण्ड ए) II-98/एचडब्ल्यू-6 वाल्यूमIII

नई दिल्ली, दिनांक 31.7.2015

महाप्रबंधक/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां आदि.

विषय: रेलवे अस्पतालों तथा स्वास्थ्य यूनिटों/क्लिनिकों में कार्यरत ग्रुप 'सी' एवं 'डी' (गैर-लिपिक वर्गीय) रेल कर्मचारियों को अस्पताल मरीज देखभाल भत्ता (एचपीसीए) और मरीज देखभाल भत्ता (पीसीए) प्रदान करना।

बोर्ड के दिनांक 09.01.2008 के पत्र सं. ई(पी एण्ड ए) II-98/एचडब्ल्यू-6 के अनुसार रेलों में अस्पताल मरीज देखभाल भत्ता/मरीज देखभाल भत्ता लागू किया गया था। इसके अलावा, बोर्ड के दिनांक 20.02.2013 के पत्र सं. ई(पी एण्ड ए)II-2013/एएल-3 के अनुसार, एचपीसीए/पीसीए की दरों में संशोधन किया गया था।

2. कुछ समय से दोनों मान्यताप्राप्त फेडरेशनों सहित विभिन्न वर्गों द्वारा की जा रही मांग के अनुसरण में इस मंत्रालय में एचपीसीए/पीसीए प्राप्त करने वाले कर्मचारियों की कोटियों में उन कोटि के कर्मचारियों को भी शामिल करने के मुद्दे पर विचार किया जा रहा था जिन्हें इन कोटियों में शामिल नहीं किया गया था और इस संबंध में अब यह निर्णय लिया गया है कि रेलवे अस्पतालों और स्वास्थ्य यूनिटों/क्लिनिकों में कार्यरत ग्रुप 'सी' (गैर-लिपिक वर्गीय) रेलवे कर्मचारियों की निम्नलिखित दो कोटियों के लिए भी इस पत्र के जारी होने की तारीख से एचपीसीए/पीसीए लागू किया जाए.

(i) डेंटल हाइजिनिस्ट्स
(ii) फिजियोथेरेपिस्ट्स /आक्यूपेशनल थैरेपिस्ट्स

3. बोर्ड के दिनांक 09.01.2008 के पत्र सं. ई(पी एण्ड ए)/II-98/एचडब्ल्यू-6 और दिनांक 20.02.2013 के पत्र सं. ई(पी एण्ड ए)II-2013/एएल-3 के अनुसार अन्य निबंधन एवं शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

4. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जाता है।

5. कृपया पावती दें।

(के. शंकर)
निदेशक/ई(पी एण्ड ए)
रेलवे बोर्ड